कार्यालय नगर परिषद्, खगौल

website-nagarseva.bihar.gov.in/khagaul/CitizenHome.html

E-mail :- nagarparishadkhagaul@gmail.com

पत्रांक......931......

S.O-7
01.10.18

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, खगौल, पटना।

सेवा,

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

खगौल, पटना/ 28/ 09 /2018

विषयः– लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0. 1179/15–16 में अंकित लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन के सम्बंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में कहना है कि नगर परिषद्, खगौल से सम्बंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0. 1179/15–16 में लंबित (वितिय वर्ष 2013–14 से 2014–15) कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन उप महालेखाकार, सामजिक प्रेछत्र–1, प्रधान महालेखाकार का कार्यालय बिहार, पटना को प्रेषित किया गया है। इसकी एक प्रति भवदीय को समर्पित की जा रही है। शेष 4 (चार) लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदनों को तैयार किया जा रहा है। जो शीध्र ही समर्पित कर दी जायेगी।

सादर सूचनार्थ।

विश्वासभाजन

28/9/18

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, खगौल, पटना।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, खगौल

कार्यालय नगर परिषद्, खगौल

website-nagarseva.bihar.gov.in/khagaul/CitizenHome.html

E-mail :- nagarparishadkhagaul@gmail.com

पत्रांक 931 / 28-9-2018

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, खगौल, पटना।

सेवा,

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

खगौल, पटना / .... / .... /2018

विषयः– लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0. 1179/15–16 में अंकित लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन के सम्बंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में कहना है कि नगर परिषद्, खगौल से सम्बंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0. 1179/15–16 में लंबित (वितिय वर्ष 2013–14 से 2014–15) कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन उप महालेखाकार, सामजिक प्रेछत्र–1, प्रधान महालेखाकार का कार्यालय बिहार, पटना को प्रेषित किया गया है। इसकी एक प्रति भवदीय को समर्पित की जा रही है। शेष 4 (चार) लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदनों को तैयार किया जा रहा है। जो शीध्र ही समर्पित कर दी जायेगी।

सादर सूचनार्थ।

विश्वासभाजन

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, खगौल, पटना।

कार्यालय नगर परिषद्, खगौल

nagarseva.bihar.gov.in/khagaul/CitizenHome.html

E-mail :- nagarparishadkhagaul@gmail.com

पत्रांक 924 दिनांक 25/9/2018

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् खगौल, पटना।

सेवा में,

उप महालेखाकार,
सामाजिक प्रछेत्र–1
प्रधान महालेखाकार का कार्यालय,
बिहार, पटना।

विषयः– लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0:– 1179/15–16 में अंकित लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन के सम्बंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगर परिषद् खगौल से सम्बंधित लेखा परिक्षा प्रतिवेदन सं0– 1179/15–16 में लंबित (वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2014–15) कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाइे हेतु प्रेषित की जाती है।

भाग –I

कंडिका संख्या		लेखा परिक्षा अपत्तियाँ	प्रतिवेदन/अनुपालन
1.	बजट		
	I.	बजट प्राक्कालन में अत्यधिक विचालन	बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के अनुसार नगर पालिका लेखा समिति का गठन का कर लिया गया है जिसमें की लेखा कार्य एवं बजट से संबंधित किये जा रहे कार्य की समीक्षा की जा रही है। जिसे की अगले लेखा परिक्षा दल को दिखा दिया जाएगा। उपर्युक्त के संबंध में साक्ष्य भी संलग्न किया जा रहा है। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाय।(साक्ष्य संलग्न)
	II.	बजट प्राक्लन राज्य सरकार को नहीं भेजा जाना	उक्त के सम्बंध में कहना हे कि बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 82 के अन्तर्गत 15.03.2013 तक बजट को बोर्ड के द्वारा पारित करा लिया जाना होता है। एवं 31.03.2013 तक विभाग के पास अनुमोदन हेतु भेजा जाना है। परन्तु बोर्ड कुछ सदस्यों के अग्रह पर 15.03. 2013 को ना होकर दिनांक 19.03.2013 को बोर्ड के द्वरा स्वीकृति प्रदान की गयी । एवं वितीय वर्ष 2014–15 दिनांक 22.02.2014 को जो कि 15.03.2014 से पूर्व स्वीकृति प्रदान की गयी। जिसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाय।
	III.	1. बजट बनाने में सार्वजनिक	उक्त के संबंध में कहना है कि बजट तैयार करने के पूर्व शहर के नागरिकों बुद्धजीवियों एवं दुकानदारों से समाचार

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, खगौल

	सहभागिता नहीं	पत्र के माध्यम से राय मागी गई थी इसके अलवा सभी वार्डो में बजट बनाने से संबंधित बैठक भी की गई थी इसके उपरान्त ही बजट को तैयार किया गया हैं एवं उसे विभाग के बेवसाईट पर नागरिकों को देखने हेतू प्रकाशित कर दिया गया है। साक्ष्य सलग्न किया गया है। अतः अनुरोध है कि इस कडिका को विलोपित किया जाए।
	2. बजट की अर्धवार्षिक समीक्षा नही	बजट की अर्द्धवार्षिक समीक्षा नगर परिषद्, में की जा रही है। जिसके आधार पर आय–व्यय का लेखा का मिलान किया जाता है। जिसे की अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए।(साक्ष्य संलग्न)
12.	वित्तीय विवरण और तुलन पत्र अप्रस्तुत	वितीय विवरण और तुलनपत्र तैयार किया जा रहा है। जिसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जाएगा। (साक्ष्य संलग्न) अतः अनुरोध है कि इस कडिका को विलोपित किया जाए।
13.	**आय व्यय**	**लेखा परिक्षा अभियुक्ति**
I	बिहार नगर पालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 12 (1) के अनुसार नगर परिषद में लेखा पाल रोकबही निर्धारित प्रपत्र बी0.एम0.ए0.आर0. प्रपत्र संख्या–1 में संधारित करनरा है। परंतु रोकड़बही निर्धारित प्रपत्र में संधारित नही किया गया था।	रोकड़बही निर्धारित प्रपत्र बी0.एम0.ए0.आर0. प्रपत्र सं0. 01 में संधारित किया जा रहा है। जिसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा। (साक्ष्य संलग्न) अतः अनुरोध है ि कइस कंडिका को विलोपित किया जाय।
ii	लेखापाल रोकड़बही के प्राप्ति भाग में बैंक पासबुक के खाता संख्या के अनुसार राशि दर्शाई गई है प्राप्ति का मदवार बर्गीकरण नही किया गया।	उक्त के आलोक में उठाए गए आपति के संबंध में रोकडबही का संधारण कर लिया गया है जिसे कि अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाये।
iii	रोकड़बही के व्यय भाग में मदवार बर्गीकरण नही किए जाने के कारण यह स्पष्ट नही है कि किस मद से व्यय किया गया।	उठाए गये आपति के संदर्भ में सभी बहीयों का उचित संधारण किया जा चुका है जिसे कि अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाये।
iv	रोकड़बही के प्राप्ति भाग के अनुमान प्राप्त राशि के पत्र संख्या, दिनांक किस मद की राशि है, का कोई वर्णन नही।	उक्त के संबंध में रोकड़ संधारण कर लिया गया है जिसे कि अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाये।
v	व्यय भाग में भुगतान के अभिश्रव, दिनांक आदि नही दर्शाए गए थें।	व्यय भाग में भुगतान के अभिश्रव दिनांक आदि दर्शा दी गई हैं जिसे कि अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाये।
vi	2013–14 के प्रारंभिक शेष की राशि दशाई गई परन्तु यह राशि किस मद की थी इसका बर्गीकरण नही दर्शाया गया था।	उक्त मद का वर्गीकरण बही में संधारण कर दिया गया है। जिसे कि अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका वा विलोपित किया जाये।
vii	दिनांक 01.05.2013 को प्राप्ति भाग में राशि 207000 एवं रू0 25000 दर्शाई गई थी। यह कौन से मद की राशि है यह वर्णित नही थी।	उक्त के आलोक में कहना है कि दिनांक 11.05.2013 को राशि 207000/–(दो लाख सात हजार) रू एवं 25000/–(पचीस हजार) रू0 प्राप्ति मद में अंकित कर दिया गया है। जिसे कि अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाये।
viii	उपलब्ध सहायक रोकड़बही में 2013–14	आय– व्यय तथा प्राप्ति भुगतान के सभी राशि को उचित

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, [illegible]

	प्रारंभिक शेष एवं जनवरी 2015 से मार्च 2015 तक आय–व्यय की राशि प्राप्ति तथा व्यय भाग में नही दर्शाया गया, जिसके मदवार आय–व्यय ज्ञात नही किया जा सका था।	रूप से प्राप्ति तथा व्यय भाग में संधारण किया जा चूका है। जिसे कि अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाये।
ix	तेरहवी मद एवं राजस्व मद के लिए दो पासबुक का संधारण किया जा रहा था।जवाब दिया गया कि नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 12(1) एवं प्रपत्र बी0.एम0.ए0. आर0. में आगे से संधारित किया जायेगा। आपति के अन्य बिन्दु को स्पष्ट नही किया गया अतः उपर्युक्त तथ्यों का स्पष्टीकरण अगले अंकेक्षण में किया जाए।	तेरहवी मद तथा राजस्व मद के लिए नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 12(1) एवं प्राप्त बी0.एम0.आर0. में संधारित कर लिया गया है। जिसे कि अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाये।
	बैंक समाधान विवरण	बैंक समाधान विवरण तैयार कर लिया गया हैं जिसे कि अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाये।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन के आलोक में कंडिका को विलोपित करने कि कृपा की जाए।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, [illegible]

भाग II क

कंडिका संख्या	अंकेक्षण लेखा परिक्षा आपत्तियाँ	प्रतिवेदन / अनुपालन
1.	भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति में 22.96 लाख श्रम सेस की कटौती नहीं किया जाना।	वास्तुविद के द्वारा तैयार किये जाने वाले नक्शा चाहे वो निजी उपयोग के लिए हो चाहे व्यवसायीक उपयोग के लिए हो। इसका भवन निर्माण की प्राक्लित राशि नहीं होने के कारण श्रम सेस की कटौती नहीं की जाती है। इस संबंध में विभाग से पत्राचार कर सुझाव मांगी गई है जिससे की आगे कार्य में गलती न हो अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित किया जाय।
2.	वाहनो के कय पर निरर्थक व्यय	नगर परिषद् कार्यालय के द्वारा वोर्ड की स्वीकर्ति के पश्चात गाड़ियों का खरीदारी की गइ थी जिसमें यह भी कहा गया था कि इसके लिए अलग से कर्मचारी नियुक्त किये जायेंगे जिसकी प्रकिया को अपनाकर नियुक्ति कर ली गइ है किया और उनके द्वारा ही गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है इससे सम्बन्धित साक्ष्यों की छाया प्रति संल्गन की जा रही है । (i) बोर्ड की बैठक की कार्यवाही पुस्तिका (ii) कर्मचारियों की नियुक्ति से सम्बंधित दस्तावेज की छायाप्रति। (iii) टेम्पु एवं जे0.सी0बी0. का लॉग बुक की छायाप्रति। (iv) स्थायी सम्पति रजिस्टर की छायाप्रति। अतः कंडिका को विलोपित किया जाए।
3.	नक्शा स्वीकृति में डेवलपमेंट परमिट फीस नहीं लेने के कारण रूप्या 132000 की हानि	लेखा परीक्षा आपत्ति मोडिफाइड बिल्डिंग Bye-low 1981 का clause 6.2 संदर्भ देते हुए Development permit fees नहीं लेने के कारण 132000/– रूपये की हानि होने का उल्लेख किया गया है। जबकि तथ्यों की जांच से पता चलता है कि उक्त अवधि के दौरान नगर परिषद् खगौल के द्वारा कोई Development permit नहीं दिया गया था। वल्कि Building permit दिया गया था जिसके लिए Development permit fees लिया जाना वाछित नहीं था। अतः close 6.3 मे निर्धारित केवल Building permit fees के रूप में 111412/– नगर परिषद में जमा कराया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि संबंधित अंकेक्षण आपितयों को विलोपित करने की कृपा की जाय। अन0– Modified Building bye-low 1981 की छायाप्रति गया था।
4.	रैमकी इनभरों इंजीनयर्स लि० द्वारा वाहनों एव सफाई के उपकरणों को नगर परिषद् कार्यालय का वापस नहीं किया जाना।	उक्त के संदर्भ में कहना है कि इससे सम्बन्धित मामला न्यायालय में है इसकी छाया प्रति संलग्न है अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
5.	सफाई कामो के लिए रैमकी को 25.47 लाख का अनियमित भुगतान।	उक्त के संदर्भ में कहना है कि इससे सम्बन्धित मामला न्यायालय में लम्वित है छाया प्रति संलग्न है अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, खगौल

भाग II ख

कंडिका संख्या	अंकेक्षण लेखा परिक्षा आपत्तियाँ	प्रतिवेदन/अनुपालन
06	संचार मीनारों (मोबाइल/इन्टरनेट इत्यादि) पर 1.20 लाख का बकाया ।	इसके पूर्व बकाया राशि का मामला न्यायालय में लम्बित था।2017 में वसूली हेतु निर्णय प्राप्त हुआ है। पंजी संधारित कर वसूली की कार्यवाइे शुरू की जा रही है। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
	(i) नगर परिषद् खगौल रोड में स्थापित संचार मीनारों तथा उसमें कार्यरत एण्टिनों के मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण नही किया जाना।	नगर परिषद खगौल क्षेत्र में स्थापित संचार मीनार उसमें कार्यरत एटिनों के मांग एवं वसूली पंजी संधारण है जिसकी छाया प्रति संलग्न किया गया है। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
	(ii) मोबाइल टावरो से बकाया नवीनीकरण शुल्क की लिए नगर परिषद् कार्यालय द्वारा संबधित निर्गत किया गया था।	समय–समय पर संबंधित कम्पनीयों पर नोटिस निर्गत किया जाता है जिसका साक्ष्य छायाप्रति संलग्न किया गया है अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाय।
	(iii) वितीय वर्ष 2013– 14 से 2014–15 की अवधि में मोबाइल टावरो द्वारा राजस्वों की जमा नहीं करने पर कितने टावरो के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की इसकी सूची अंकेक्षण की उपलब्ध नहीं कराया गया।	उक्त के संदर्भ में कहना है कि मोबाइल टावर से संबंधित मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होनें के कारण इनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाइे नहीं की गयी अतः कंडिका को अनुरोध है कि विलोपित किया जाए।
	(iv) मोबाइल टावरों पर वाणिज्यिक कर की वसूली नहीं किया गया।	मोबाइल टावर अधिष्ठापित भूखंडो पर वाणिज्यिक कर की वसूली की जा रही है।
07	सशक्त स्थायी समिति की स्वीकृति के बिना अग्रिम भुगतान किया जाना।	बैगर सशक्त स्थायी समिति की स्वीकृति की चार कर्मियों के वेतन का अग्रिम भुगतान किया जाना नगर आवास एवं विभाग द्वारा आउटसोर्स एजेंसी कॉमेक्स कम्यूटर द्वारा विभागीय दिशा– निर्देश के आलोक नगर परिषद खगौल में चार कर्मियों की सेवा उपलब्ध कराई गई थी। उप सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना के पत्रांकः– 3344 दिनांकः–05.11.2014 द्वारा उक्त चारों कर्मियों पर होने वाले संभावित व्यय की राशि पुनः पत्रांक 3744 दिनांक 01.12.14 द्वारा मौग की गइे थी एवं चारों कर्मियों को नियुक्त करने के लिए भेजा गया था जो दिसम्बर 2014 से जनवरी 2015 की अवधि में योगदान दिया था।
	(1) इन नियुक्तियों के संबंध में वांछित स्पष्टीकरण ।	
	(a) क्या सशक्त स्थायी समिति द्वारा अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत व्यक्तियों के नियुक्ति के सहमति राज्यों सरकार को दी गई थी।	उक्त के संदर्भ में कहना है कि चार कर्मियों की नियुक्ति से संबंधित सारी प्रक्रिया नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा किया जा रहा था इसलिए सशक्त स्थायी से नियुक्ति से संबंधित किसी प्रकार की सहमति राज्य राज्य सरकार

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, खगौल

		को नहीं भेजी गई।
	(b) क्या नगर परिषद कार्यालय के द्वारा राज्य सरकार से कर्मियों की मांग की गई थी	उक्त के सदर्भ में कहना है कि कर्मियों की नियुक्ति से सम्बंधित दिशा निर्देश सम्बंधी सारी प्रक्रिया राज्य सरकार के द्वारा ही की जा रही थी इस सदर्भ में राज्य सरकार के द्वारा नगर परिषद कार्यालय को चार कर्मियों से संबंधित आउट सोर्स के माध्यम से नियुक्ति संबंधित सूचना पत्रांक. 01/स्था0/विविध–43–2014/3314 दिनांकः–25.11.2014 से दी गई थी।
	(c) नगर सशक्त स्थायी समिति द्वारा इसकी सहमति नहीं दी गई थी तो 1013266 चेक नगर परिशद कार्यालय द्वारा क्यों निर्गत	उक्त के संदर्भ में कहना है कि नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक–3744 दिनांकः– 01.12.14 द्वारा मांग की किया गया था जिसके आधार पर नगर परिषद कार्यालय द्वारा चेक निर्गत किया गया था।
	(d) इस नगर परिषद के उपरोक्त में से कोई पद स्वीकृत नहीं है, तो फिर इन पदों पर नियुक्ति के लिए नगरपालिका से चेक क्यों निर्गत किया गया।	उक्त के आलोक में कहना है कि विभागीय आदेश के आलोक में चेक निर्गत किया गया था क्योंकि विभाग के द्वारा ही पद का सृजन कर नियुक्ति एजेंसी बहाल कर दिशा–निर्देश दिया गया था इसके आधार पर ही उपरोक्त चार की योगदान कर्मियों का स्वीकार की गई थी।
(8)	(1) योजना कार्यान्वयन में विलंब शुल्क की कटौती नहीं 7 लाख	उक्त के आलोक में कहना है कि योजना का कार्यान्वयन में विलंब शुल्क की कटौती इसलिए नहीं की गई क्यों कि सभी योजनाए ससमय पूर्ण कर ली गई थी परंतु उनका भुगतान बाद में किया गया था अंकेक्षण के दौरान भूलवश भुगतान की तिथि को ही योजना पूर्ण होने की तिथि मानते हुए अंकित कर लिया गया है जिसका विवरण तैयार कर संलग्न किया जा रहा है अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।
(9)	नगर परिषद के दुकानो पर 7.02 लख किराया बकाया	उक्त के आलोक में कहना है कि कार्यालय द्वारा सभी दुकानों की मांग तथ वसूली पंजी का संधारण कर लिया गया है बकाया राशि की वसूली भी कर ली गई है जिसे की अगले अंकेक्षण में दिखा दी जाएगी। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।
(10)	होल्डिग कर बकाया 1.45 करोड	उक्त आलोक में कहना है कि कि होल्डिंग कर कर्मचारियों की कमी के कारण तैयार किया जा सका था परंतु मांग एवं वसूली का संधारण कर लिया गया है । बकायेदारों की सूची तैयार कर एंव गैर कर विनियम 2013–14 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 158 के अंतर्गत वसूली नोटिस भेजी गई है। इसके अलावा जिन बड़े बकायोदारों के द्वारा भुगतान नहीं किये जाने पर सभी का समाचार पत्रों में प्रकाशित कि गई थी। इसके वसूली में काफी सुधार आई है। जिसे अंकेक्षण के दौरान दिया जाएगा। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाय।
(11)	भवन की राशि 1223 कम जमा	कर संग्राहक द्वारा उक्त राशि को नगर निधि में जमा कर दिया गया है। साक्ष्य संलग्न। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।
(12)	विविध रसीद से प्राप्त राशि का नगर परिषद निधि में जमा नहीं ।	उक्त राशि को परिषद निधि में जमा कर दिया गया है। साक्ष्य संलग्न। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।
(13)	रोकड़पाल द्वारा नहीं जमा रू 80132/–	रोकड़पाल द्वारा उक्त राशि को नगर निधि में जमा कर दिया है। साक्ष्य संलग्न। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, [illegible]

		को विलोपित करने की कृपा की जाय।
(14)	SJSRY में प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं से आयकर में कटौती नही कटौती नही	उक्त के सर्दभ कहना है कि SJSRY में प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं से भुगतान करते समय भूल वंश आयकर की कटौती नही की गई थी परन्तु पशिक्षण देने वाली सभी संस्था के द्वारा आयकर रिर्टन सबंधित वितिय वर्ष में दाखिल किया गया हैं। जिसका साक्ष्य इसके साथ संलग्न किया जा रहा हैं अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
(15)	हॉल्डिंग कर की राशि जमा नहीं रू 281/–	उक्त राशि को कर सग्राहक द्वारा जमा कर दिया गया है।साक्ष्य संलग्न। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।
(16)	भवन कर की राशि जमा नहीं	भवन राशि को कर सग्राहक द्वारा जमा कर दिया गया है। साक्ष्य संलग्न। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।
(17)	पेंशन विवरण की राशि रू 158500/– लम्बें समय तक अपने पास रखना।	उक्त राशि को जो अन्य मदों से निकालकर सामुदायिक भवन निर्माण किया गया था। इस राशि पुनः को संबंधित खातों में हस्तांरित कर दिया गया था। जिसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाएगा। साक्ष्य संलग्न। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।
(18)	समुदायिक भवन निर्माण राशियों को विवरण	उक्त राशि को जो अन्य मदों से निकालकर सामुदायिक भवन निर्माण से संबंधित भुगतान किया गया था। इस राशि पुनः को संबंधित खातों में हस्तांरित कर दिया गया था। जिसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाएगी। साक्ष्य संलग्न। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।
(19)	हैण्ड ट्राली अनुपयोगी पड़े रहना	क्रय किये गये सभी हैण्ड ट्राली का उपयोग कर लिया गया है। साक्ष्य संलग्न। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।
(20)	सैरात बंदोबस्ती में स्टाप शुल्क नहीं लिया जाना	निबंधन अधिनियम 1908 की धारा 17 (घ) अनुसार अचल संपति से संबंधित किसी भी लीज एग्रीमेंट जिसका मूल्य 100 से अधिक एवं 1 वर्ष की अवधि से अधिक हों का निबंधन कराना अनिवार्य है। चूंकि सभी बंदोबस्ती जिसपर आपति जताई गई थी सभी की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं थी। अतः इसका निबंधन नहीं कराया गया है। साक्ष्य संलग्न। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।
(21)	अभिश्रवों पारित नहीं	आपति जताई गई सभी अभीश्रवों को पारित कर लिया गया है। जिसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाएगा। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिक। को विलोपित करने की कृपा की जाय।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन के आलोक में कंडिका को विलोपित करने कि कृपा की जाए।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, खगौल

भाग III

क्र0.सं0	अंकेक्षण के दौरान उठाई गयी आपति	वस्तु स्थिति / अनुपालन
1	नक्शा स्वीकृति में भवन उप–निधि का पालन नही	
	i निर्माणाधिन भवनों का निरीक्षण नही	उक्त के आलोक में कहना है कि नक्शा स्वीकृति में भवन उपनिधि का विधिवत पालन किया जा रहा है। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
	Ii पूर्णता एवं अधिप्त प्रमाण पत्र निर्गत नही किया जाना	उक्त के आलोक में कहना है कि अधाहस्ताक्षरी के निर्माणाधिन भवनों का निरीक्षण समय–समय पर किया जा रहा है। अतः उक्त कडिका को विलोपित करने की कृपा करें।
	Iii वास्तुविद द्वारा अनाधिकृत रूप से भवन योजनाओं की स्वीकृति देना।	उक्त के आलोक में कहना है कि नगर परिषद्, खगौल में पंजीकृत वास्तुविद के द्वारा कार्य किया जा रहा है। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जाय।
2	महत्वपूर्ण अभिलेखों का संधारण नही	उक्त के आलोक में कहना है कि सभी महत्वपूर्ण अभिलखों का संधारण किया जा रहा हैं जिसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाएगा। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
3	पिछड़ा क्षे अनुदान निधि के अन्तर्गत जिला योजना समिति से स्वीकृत योजनाओं की विवरणी प्रस्तुत नही किया गया।	नगर परिषद्, खगौल के अन्तर्गत सशक्त स्थायी समिति योजना की स्वीकृति के लिए सक्षम है। अतः स्वीकृति से सम्बंधित योजना जिला योजना समिति के आपस नही जाता है। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
4	नगर परिषद की योतजनाओं को जिला योजना समिति नही भेजना ।	नगर परिषद्, खगौल के अन्तर्गत सशक्त स्थायी समिति योजना की स्वीकृति के लिए सक्षम है। अतः स्वीकृति से सम्बंधित योजना जिला योजना समिति के आपस नही जाता है। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
5	नगरपालिका ठोस अपशिष्ट संबंधन एवं संचालन नियमावली का विनयिमन नही	नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं संचालन का नियमावली का विनयिमन नगर परिषद् खगौल के द्वारा तैयार किया जा रहा है। जिसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा।
	5.1 घरों के ठोस अपशिष्ट संरक्षण की व्यवस्था नही	उक्त के आलोक में कहना है कि डस्टबीन के माध्यम से घरों से ठोस अपशिष्टों के संग्रहण की व्यवस्था की गई। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
	5.1 i. ठोस अपशिष्ठों के भंडारण की व्यवस्था नही ।	उक्त के आलोक में कहना है कि ठोस अपशिष्ठ की भंडारण की व्यवस्था नगर परिषद् खगौल के अन्तर्गत प्रयास किया जा रहा है।
	5.1 ii. अपशिष्ठों को अलग करने के लिए जागरूक अभियान नही चलाना	उक्त के आलोक में कहना है कि अपशिष्ठो को अलग करने के लिए जागरूकात अभियान चलाया जा रहा है।
	5.1 iii कूड़ा संग्रहण केन्द्र निर्धारित नही होना	उक्त आलोक में कहना है कि नगर परिषद्, खगौल के अन्तर्गत कर ली गई है। ....अवस्थित है।
6	बगैर पंजीकरण के दो ट्रक्टरों का परिचालन	उक्त के आलोक में कहना है कि नगर परिषद खगौल के अन्तर्गत सभी गाड़ियों का पंजीकरण किया जा रहा है। जिसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जाएगा। अतः इस कंडिका को

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, खगौल

		विलोपित किया जाए।
7	भाउचरों का संधारण नियमानुकूल नही	उक्त के आलोक में कहना है कि भाउचरों का संधारण नियमाकुल किये जा रहे हे। जिसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जाएगा। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
8	अनुदान पंजी का संधारण नही	उक्त आलोक में कहना है कि नगर परिषद्, का अनुदान पंजी का संधारण किया जा रहा है। जिसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जाएगा। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
9	Estimate पर विपत्र पारित	अंकेक्षण के दौरान मागें गये आपति के आलोक में कहना है कि भुलवश इस तरह का कार्य किया गया था जिसका सुधार कर लिया गया है, इसे अगले अंकेक्षण के दौरान दिखा दिया अतः इस कंडिका को विलोपित किया जाए
10	SJSRY में प्रशिक्षण भुगतान में अन्य मद से राशि	उक्त के संदर्भ में कहना है कि SJSRY में प्रशिक्षण से सम्बंधित भुगतान अन्य मदों से किया गया था। जिसका सुधार कर लिया गया है एवं सम्बंधित मद में राशि हस्तातंरण कर ली गई है जिसे अगले अंकेक्षण के दौरान दिखा दिया जाएगा। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जाए।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन के आलोक में कंडिका को विलोपित करने कि कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, खगौल, पटना।

ज्ञापांक ....दिनांक ....

प्रतिलिपिः—वरीय लेखा परीक्षण अधिकारी, पटना को सूचनार्थ।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, खगौल, पटना।

उपस्तिथि पंजी के अनुसार

प्रस्ताव सं० अन्यान. III :- अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन से सम्बंधित प्रतिवेदन संख्या **751** वित्तीय वर्ष **2012-2013, 1179** वित्तीय वर्ष **2013-2014** एवं **2014-2015** एवं **/16/2017-2018** वित्तीय वर्ष **2015-2016** एवं **2016-2017** प्रधान सहायक द्वारा विचार विमर्श एवं अनुमोदन के लिए सदन के समक्ष रखा गया जिसपर कार्यालय पदाधिकारी ने विस्तार से सदन को अवगत कराया . माननिये पार्षद दीपक कुमार पासवान, श्रीमती मानो देवी एवं श्री महेंद्र कुमार सिंह ने अपना मंतव्य रखा एवं तैयार किये गए प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया . अध्यक्षता की सहमती से प्रस्तुत प्रतिवेदन को सर्वसम्मति से पारित किया गया एवं अग्रेतर करवाई हेतु कार्यपालक पधादिकारी को प्राधिकृत किया गया .

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, खगौल

आज दिनांक 31/7/18 को नगर परिषद के सभाकक्ष साधारण बोर्ड की बैठक आहूत की गई, जिसमे माननीय सदस्यगण उपस्थित हुए।

1. श्रीमती रिंकु कुमारी, मुख्य पार्षद - रिंकू कुमारी
2. श्री कुमार पिन्टु अविनाश, उपमुख्य पार्षद - Avinash
3. श्रीमती सरिता शर्मा, पार्षद - S. Sharma
4. " शोभा देवी, पार्षद - शोभा देवी
5. " प्रियंका राय, पार्षद - Priyanka Roy
6. " ज्योति देवी, पार्षद - ज्योति देवी
7. श्री रामप्रवेश चौधरी, पार्षद - राम प्रवेश चौ0
8. श्रीमती रीना देवी, पार्षद - रीना देवी 31/07/2018
9. श्री दीपक कुमार पासवान, पार्षद - दीपक कुमार पासवान
10. श्रीमती बेबी देवी, पार्षद - बेबी देवी
11. " पुष्पा देवी, " - पुष्पा देवी
12. " चिन्ता देवी, " - चिन्ता देवी
13. " मानो देवी, " - Mano Devi 31-6-18
14. श्री अमरेन्द्र कुमार सिन्हा, " - अमरेन्द्र कुमार सिन्हा
15. सुश्री भारती कुमारी, " - Bharti Kumari
16. श्री महेन्द्र कुमार सिंह, " - Mahendra Kumar Singh
17. श्रीमती शमीमा खातुन, " - समीमा खातुन
18. श्री भरत कुमार पोद्दार " - Bharat Poddar
19. सुश्री अलका कुमारी, " - Alka Kumari 31/07/18
20. श्रीमती पुनम देवी, " - पुनम देवी
21. श्रीमती इन्दु देवी, " - इन्दु देवी 31/07/18
22. श्री रितेश कुमार, " - रितेश कुमार
23. श्रीमती सविता देवी, " -
24. " संगीता देवी, " - संगीता कुमारी
25. " रीना सिंह " - रीना सिंह
26. श्री विभूति भूषण झा " - Bhushan
27. श्रीमती पुष्पा देवी " - पुष्पा देवी

गत बैठक की सम्पुष्टि सर्वसम्मति से किया गया।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद,